

21/11/24

20/8/24 फावली पेशा हुई। वादीगण भय अधिकता उपस्थित
नहीं। वादीगण व उनके अधिकता को बार-बार
व दफ-दफकर आवाज लगाने पर भी कोर्ट
न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। अतः वादीगण
का वाद अदम हाजरी व अदम पैखी में खरीज
किया जाता है।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा